न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(राज0)

प्र0सं0 13/2023 (जी.सी.एम.एस.नम्बर:2023/109) पीठासीन अधिकारी:— डॉ.रवि कुमार गोयल (R.A.S)

उनवान

देवेन्द्र सिंह पुत्र झब्बू जाति जाट नि0 ग्राम सिनसिनी तहसील डीग (डीग) राज0

—प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग जिला डीग (राज0)

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,111 एल.आर.एक्ट,

निर्णय दिनांकः 09.07.2024

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 136,111 एल.आर.एक्ट,** इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी खसरा नम्बरान 6137/6266/0.36, वाके ग्राम सिनसिनी तहसील डीग में स्थित है। जमाबन्दी खाता संख्या 842 पर दर्ज आराजी खसरा नम्बर 6137/6266/0.36 जिसमें मुताविक जमाबन्दी सभी खातेदार काश्तकार हिस्सानुसार अंकित है तथा ट्रैस नक्सा जोकि बंदोवस्त के बाद से बनाया गया है उसके मुताविक आराजी खसरा नम्बर 6137/6266/0.36 वा0प्र0 जमाबन्दी सम्बत 2070 लगायत 2073 में दर्ज है व नक्सा ट्रैस भी दर्ज है। सम्बत 2074 लगायत 2077 खाता संख्या 890 है। मुताविक आराजी खसरा नम्बर 6137/6266/0.36 वाके ग्राम सिनसिनी द्वितीय को जमाबन्दी खाता संख्या 890 में प्रविष्ट किया गया और ना ही कहीं अन्य स्थान पर अंकित किया गया है ना ही नक्सा ट्रैस में दर्ज किया गया है तथा पृथककरण के पश्चात नक्सा ट्रैस में आराजी खसरा नम्बर 6137/6266/0.36 अलग अलग खसरा नम्बरान है तथा पृथककरण के पश्चात नक्सा ट्रैस में 6137/6266/0.36 को विलोपित कर दिया गया है तथा 6137 व 6137/6266 के मध्य लाईन को खतम करके खसरा नम्बर 6137 को गलत रूप से दर्शाया गया है जबकि खसरा नम्बर 6137 व 6137/6266 दोनों अलग अलग खसरा नम्बरान है तथा मौके पर भी अलग अलग है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 136 एल.आर.एक्ट को स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 6137/6266/0.36 वा0प्र0 वाके ग्राम सिनसिनी द्वितीय को मुताविक जमाबन्दी सभी खातेदार काश्तकार के नाम हाल जमाबन्दी व हाल नक्सा ट्रैस मे दर्ज किये जाने की आज्ञा फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थिया **अन्तर्गत धारा 111,136** एल.आर.एक्ट, को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित अप्रार्थी/तहसीलदार डीग को जरिये नोटिस तलब कर रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार डीग ने पत्रांकः एल.आर./2024/1352 दिनांक 06.06.2024 में अंकित किया गया है कि "वर्तमान जमाबन्दी वाके ग्राम सिनसिनी द्वितीय में खाता संख्या 890 सम्बत 2074—77 में खसरा नम्बर 6137/6266/0.36 जमाबन्दी में दर्ज नहीं है एवं सेग्रीगेशन के बाद उपलब्ध नक्सा शीट में भी उक्त खसरा नम्बर अंकित नहीं है। सेग्रीगेशन से पूर्व की जमाबन्दी सम्बत 2070 लगायत 2073 के खाता संख्या 890 में खसरा नम्बर 6137/6266/0.36 मौजूद था जोकि लक्खी सिंह,सुरेन्द्र,देवेन्द्र,बल्देव पिस0 झब्बू हि0 4/15, प्रेमवती पत्नी महेन्द्र,लोकेश,दीपक पिस0 महेन्द्र हि0 1/15, सुरेश पुत्री टुण्डा हि0 1/3,,प्रताप,लोकेन्द्र पिस0 मिश्री 219, ऊषादेवी पत्नी नेपाल हि0 1/5, सत्येन्द्र सिंह,नटवरर सिंह पिस0 नेपाल हि0 4/5 दर 1/9 कॉम फौजदार सा0देह खातेदार रिकार्ड दर्ज था। सैग्रीगेशन से पूर्व खसर नम्बर 6137/6266 राजस्व नक्से में 6137 की दक्षिण दिशा में स्थित था। सैग्रीगेशन होने के वाद राजस्व

Ravi

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

2020/00084
2021/95
2021/9

रिकार्ड में खसरा नम्बर 6137/6266 जमाबन्दी व नक्से में माजूद नहीं है। वर्तमान राजस्व नक्साशीट में खसरा नम्बर 6137 व 6137/6266 को मध्य की मैड को समाप्त कर खसरा नम्बर 6137/6266 खसरा नम्बर 6137 में मिला कर खसरा नम्बर 6137/6266 को खसरा नम्बर 6137 में मिला दिया गया है। परन्तु जमाबन्दी में खसरा नम्बर 6137/0.51 का रकबा पूर्व की जमाबन्दी अनुसार है तथा रकबे में कोई बृद्वि नहीं है। मुताविक गत रिकार्ड जमाबन्दी व नक्सा से हाल जमाबन्दी व नक्साशीट से मिलान करने पर वर्तमान जमाबन्दी व नक्साशीट में खसरा नम्बर 6137/6266 रकबा 0.36 नहीं है। गतः रिकार्ड के आधार पर खसरा नम्बर 6137/6266 रकबा 0.36 हैक्टेयर वर्तमान जमाबन्दी व नक्सा मे शुद्व किया जाना प्रस्तावित है।''

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,136 एल.आर.एक्ट, स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 6137/6266/0.36 वा0प्र0 वाके ग्राम सिनसिनी द्वितीय को मुताविक जमाबन्दी सभी खातेदार काश्तकार के नाम हाल जमाबन्दी व हाल नक्सा ट्रैस मे दर्ज किये जाने की आज्ञा फरमायें।

पत्रावली पर उपलब्ध सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड तहसीलदार डीग से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। उपलब्ध रिकार्ड व तहसीलदार डीग की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान राजस्व नक्साशीट में खसरा नम्बर 6137 व 6137/6266 को मध्य की मैड को समाप्त कर खसरा नम्बर 6137/6266 खसरा नम्बर 6137 में मिला कर खसरा नम्बर 6137/6266 को खसरा नम्बर 6137 में मिला दिया गया है। परन्तु जमाबन्दी में खसरा नम्बर 6137/0.51 का रकबा पूर्व की जमाबन्दी अनुसार है तथा रकबे में कोई बृद्वि नहीं है। मुताविक गत रिकार्ड जमाबन्दी व नक्सा से हाल जमाबन्दी व नक्साशीट से मिलान करने पर वर्तमान जमाबन्दी व नक्साशीट में खसरा नम्बर 6137/6266 रकबा 0.36 नहीं है। गतः रिकार्ड के आधार पर खसरा नम्बर 6137/6266 रकबा 0.36 हैक्टेयर वर्तमान जमाबन्दी व नक्सा मे शुद्व किया जाना उचित प्रतीत है। ऐसी स्थिति में हम तहसीलदार डीग की रिपोर्ट के मुताविक दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 111,136 एल.आर.एक्ट, स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 6137/6266/0.36 वा0प्र0 वाके ग्राम सिनसिनी द्वितीय तहसील डीग को मुताविक जमाबन्दी सभी खातेदार काश्तकार के नाम हाल जमाबन्दी व हाल नक्सा ट्रैस मे शुद्व/दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद हेतु निर्णय प्रति तहसीलदार डीग को भिजवाई जावे।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 09.07.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी * (डीग)

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डी , राज.

Scanned with OKEN Scanner